

Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad, DIST- BHIND (M.P.)

Case No.....186/12

Complainant report made on.....

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

कमलकिशोर पुत्र पोतीराम शर्मा उम्र- 44 साल निवासी बिरहडीया गा. जे. नं.

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23.09.17 को समय लगभग 11.00 बजे, स्थान
गोलवंत तिराहा गोलवंत अंतर्गत थाना गोलवंत में वाहन को
MP 30 R 507 को बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन के चलाया और
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 44/192A M.V. Act
के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (If any)

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved, if any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the
value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.09.17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192A M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी कमल मिश्रा पुत्र पोतीराम शर्मा उम्र 44 साल नि. बिछड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192A M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमरा राशि रुपये कुल 2000/- रु० (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन क्र० MP 30 Ro 507 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर दस्त

Judicial Magistrate First Class
Gohadoli, Bina (M.P.)